GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2017/Safety (DM) 19/1 **New Delhi, Dated: 29.12.2022**

General Managers
All Zonal Railways

Sub: Sub: Strengthening of Safety Organization at Zonal and Divisional level

Ref: RB's letters of even number dated 28.03.2017, 20.09.2017 and 28.07.2021

Railway Board has recently considered the issue of strengthening the Safety Organization of the Railways. Accordingly, in supersession of above referred letters, Board has decided the following:

1. Posting of Safety Officers in Headquarters and Divisions

1.1. Posting of Safety officers in Zonal Headquarter and Divisions should be done in consultation with PCSO.

1.2. Posting of SAG/SG/ JAG/SS officers from all five technical departments- Civil, Mechanical, Electrical, S&T and Operations should be made as CSO/ Dy. CSO/ Sr. DSO/ Sr. Safety Officer, irrespective of the department to which the PCSO belongs.

1.3. General Manager shall decide the Department wise distribution of Sr. DSOs in such a way that not more than 2 officers (excluding the post of PCSO) from each of the 5 disciplines may normally be posted as Dy. CSOs /Sr. DSOs (i.e. both the Headquarters and Divisional posts taken together) on a particular Zonal Railway.

1.4. While considering posting of Safety officers, PCSOs should ensure that the officer is chosen carefully in consultation with the PHOD concerned and with the approval of General Manager.

1.5. Concerned departmental PHOD shall recommend names of two or three officers to be posted as CSO/ Dy. CSO/Sr. DSO/ Sr. Safety Officer. Personnel Department should process the posting through PCSO along with their confidential reports for the last five years and vigilance clearance. PCSO will recommend one officer for consideration of General Manager

1.6. Officer(s) selected should have a very good record of service ("Very Good" and above), with minimum 3 years in open line working of that department and should be free from vigilance cases.

1.7. Tenure of the officers should normally be 3 years from the date of posting.

2. Other General posting guidelines:

2.1. The posts of Safety Officers and Safety Counsellors should be pinpointed and these posts should be transferred to the Safety Department along with Post Code (in case of officers). No post earmarked for the Safety Department by contributing

departments should be transferred out without the approval of GM/DRM, as the case may be.

2.2. Railway Board has issued guidelines for posting of Safety Counsellors and other ministerial staff in the Safety Department at Zonal/ Divisional level vide letter No.2017/Safety(DM)/19/1 dated 18.10.2017. These guidelines should be implemented by Zonal Railways without any dilution and, in case of exceptional circumstances prior approval of the GM/DRM, as the case may be, should be taken for relaxation from norms.

3. Guidelines to prevent victimization after tenure in Safety Department:

3.1. Any premature repatriation of Officer(s)/ Staff from the Zonal/ Divisional Safety Organisation before the completion of their tenure, shall be done in consultation with PCSO/ Sr DSO and approval of GM/ DRM, as the case may be.

3.2. Case(s) of premature repatriation of Officer(s) from Safety Organisation shall be brought to the notice of DG Safety by PCSO.

3.3. To protect the personnel posted in the Safety organisation, after repatriation to their parent departments, the following guidelines should be followed:

3.1.1. On such repatriation, the Safety personnel should normally not be posted to work under an official whose role in an accident was investigated by him/her as part of the Inquiry Committee Member, while working in the Safety Organisation. Needless to say, his/ her APAR shall not be written by such official(s).

3.1.2. All Safety personnel on repatriation shall be entitled to represent to the PCSO, if they perceive any victimization as a consequence of their working in the Safety department. This would include disciplinary action, transfers, denial of promotion or any administrative action not considered routine or normal. This protection will be extended for a period not less than three years after the repatriation of such personnel from the Safety department. PCSO should report such matters to GM/ DG Safety, as the case may be, along-with action taken in this regard.

This issues with the approval of the Board (CRB & CEO).

29/12/2022

(K.P. Yadav)
Executive Director Safety-II
Railway Board

Copy to: Principal Chief Safety Officers, All Zonal Railways for information and necessary action.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

सं. 2017/सेफ्टी (डीएम) 19/1 नई दिल्ली, दिनांक 29.12.2022

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

विषय: क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर संरक्षा संगठन का सुदृढ़ीकरण।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.03.2017, 20.09.2017 एवं 28.07.2021 के समसंख्यक पत्र।

रेलवे बोर्ड में हाल ही में रेलों में संरक्षा संगठन के सुदृढ़ीकरण के मामले पर विचार किया गया है। तदनुसार, उक्त संदर्भित पत्रों के अधिक्रमण में, बोर्ड द्वारा निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:

1. **मुख्यालयों और मंडलों में संरक्षा अधिकारियों की तैनाती:**

1.1 क्षेत्रीय मुख्यालयों और मंडलों में संरक्षा अधिकारियों की तैनाती प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी के परामर्श से की जाए।

1.2 सभी पांच तकनीकी विभाग यथा सिविल, यांत्रिक, बिजली, सिगनल एवं दूरसंचार और परिचालन विभाग से एसएजी/एसजी/जेएजी/एसएस अधिकारियों की तैनाती, प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी के संबंधित विभाग पर ध्यान दिए बिना, सीएसओ/डिप्टी सीएसओ/सीनियर डीएसओ/सीनियर संरक्षा अधिकारी के रूप में की जाए।

1.3 महाप्रबंधक, सीनियर डीएसओ की विभाग-वार तैनाती इस प्रकार निर्धारित करेंगे कि प्रत्येक पांच विभागों में से किसी एक क्षेत्रीय रेलवे में सामान्यत: डिप्टी सीएसओ/सीनियर डीएसओ (अर्थात मुख्यालय और मंडल दोनों पदों पर एकसाथ) के रूप में 2 से अधिक अधिकारियों (पीसीएसओ के पद को छोड़कर) की तैनाती न की जाए।

1.4 संरक्षा अधिकारियों की तैनाती पर विचार करते समय, प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी का चयन संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से और महाप्रबंधक के अनुमोदन से ध्यानपूर्वक किया गया है।

1.5 संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष सीएसओ/डिप्टी सीएसओ/सीनियर डीएसओ/सीनियर संरक्षा अधिकारी के रूप में तैनाती के लिए दो या तीन अधिकारियों के नाम की अनुशंसा करेंगे। कार्मिक विभाग उनकी पिछले पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों और सतर्कता क्लीयरेंस सहित प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी के माध्यम से तैनाती की कार्रवाई करेंगे। प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी द्वारा महाप्रबंधक के विचारार्थ एक अधिकारी की अनुशंसा की जाएगी।

1.6 चयन किए गए अधिकारी (अधिकारियों) का सेवा रिकॉर्ड बहुत अच्छा (बहुत अच्छा और उससे ऊपर) होना चाहिए और अधिकारी ने उस विभाग के ओपन लाइन में कम से कम 3 वर्ष कार्य किया हो तथा उस पर कोई सतर्कता मामला नहीं होना चाहिए।

1.7 अधिकारियों का कार्यकाल तैनाती की तारीख से सामान्यत: 3 वर्ष होना चाहिए।

2. **अन्य सामान्य तैनाती दिशा-निर्देश:**

2.1 संरक्षा अधिकारियों और संरक्षा काउंसलरों के पद पिनपांइटेड होने चाहिए और इन पदों को उनके पद कूट (अधिकारियों के मामले में) सहित संरक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। योगदानकर्ता विभाग द्वारा संरक्षा विभाग के लिए निर्धारित किसी भी पद को महाप्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, के अनुमोदन के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

2.2 रेलवे बोर्ड ने दिनांक 18.10.2017 के पत्र सं. 2017/सेफ्टी (डीएम) 19/1 के तहत क्षेत्रीय/मंडल स्तर पर संरक्षा विभाग में संरक्षा काउंसलरों और अन्य लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की तैनाती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और आपवादिक परिस्थितियों में मानदंडों में छूट के लिए महाप्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

3. **संरक्षा विभाग में कार्यकाल के बाद उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देश:**

3.1 क्षेत्रीय/मंडल संरक्षा संगठन से किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रत्यावर्तन पर प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/सीनियर डीएसओ से परामर्श किया जाए और महाप्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

3.2 संरक्षा विभाग से अधिकारी (अधिकारियों) के समय से पहले प्रत्यावर्तन के मामले को प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी द्वारा महानिदेशक संरक्षा को सूचित किया जाए।

3.3 संरक्षा संगठन में तैनात कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तन होने पर उनके हितों की अभिरक्षा के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए:

3.1.1 संरक्षा कर्मचारी का प्रत्यावर्तन होने पर उसे सामान्यत: उस अधिकारी के अधीन तैनात नहीं किया जाना चाहिए, संरक्षा संगठन में कार्य करते समय जांच समिति के सदस्य के रूप में उसके द्वारा दुर्घटना में जिसकी भूमिका की जांच की गई हो। यहां यह कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा उसकी एपीएआर नहीं लिखी जाएगी।

3.1.2 प्रत्यावर्तन पर सभी संरक्षा कर्मचारी, प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने के पात्र हैं, यदि उन्होंने संरक्षा विभाग में कार्यकाल के परिणामस्वरूप कोई अनुचित व्यवहार देखा हो। इसमें शामिल हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण, पदोन्नति से वंचित करना या ऐसी कोई प्रशासनिक कार्रवाई जो नेमी या सामान्य न समझी जाए। उपरोक्त अभिरक्षा की अवधि संरक्षा विभाग से उस कर्मचारी के प्रत्यावर्तन के बाद तीन वर्ष तक रहेगी। पीसीएसओ ऐसे मामलों को इस संबंध में की गई कार्रवाई सहित महाप्रबंधक/महानिदेशक संरक्षा, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेंगे।

इसे बोर्ड (अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(के. पी. यादव)
कार्यपालक निदेशक, संरक्षा ।।
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु।